न्यायालय सहायक कलक्टर (FT),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 37/24 (वाद)

GCMS No. : 2024/71

अनवान

1. श्री रतनसिंह पिता विजयसिंह चारण निवासी धारता तह. मावली।

............वादी

बनाम्

1. श्री महिपाल सिहं पिता हरिसिंह चारण निवासी धारता तह. मावली।
2. संध्या पुत्री हरिसिंह चारण निवासी धारता तह. मावली।
3. सुनिता पुत्री हरिसिंह चारण निवासी धारता तह. मावली।
4. सुमन पुत्री हरिसिंह चारण निवासी धारता तह. मावली।
5. सीमा पुत्री हरिसिंह चारण निवासी धारता तह. मावली।
6. श्रीमती गुलाबकुंवर पत्नी हरिसिंह चारण निवासी धारता तह. मावली।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता वादी।
2. श्री अर्चना हिगंड, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 13.11.2024

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा धारता पटवार हल्का खेमपुर की परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 356 रकबा 5.3985 हेक्टेयर उक्त कृषि आराजी वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 प्रत्येक के नाम 1/216 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 7 के नाम 1/36 हिस्सानुसार दर्ज हैं। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारों के नाम दर्ज हैं। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 355 रकबा 1.6106 हेक्टेयर उक्त कृषि आराजी वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 प्रत्येक के नाम 1/216 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 7 के नाम 1/36 हिस्सानुसार दर्ज हैं। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारों के नाम दर्ज हैं। परिशिष्ट स में वर्णित आराजी नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:42:08 IST
Reason: SelfAttested

352 रकबा 1.4811 हेक्टेयर उक्त कृषि आराजी वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 प्रत्येक के नाम 1/72 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 7 के नाम 1/12 हिस्सानुसार दर्ज हैं। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारों के नाम दर्ज हैं।

2. यह कि वाद में वर्णित कृषि भूमि के सहखातेदार अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पिता हरिसिंह पिता विजयसिंह चारण एवं प्रतिवादी संख्या 7 ने अपने सम्पूर्ण हिस्से कब्जे की भूमि को 2,51,000/— दो लाख इकावन हजार रूपया के विक्रय प्रतिफल में जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा दिनांक 19.10.2015 को मुझ वादी को विक्रय कर विक्रीत हक हिस्से का मौके पर मुझ वादी को भौतिक कब्जा सिपूर्द कर दिया। तभी से मै वादी अपनी क्रयसुदा कृषि भूमि पर अपने परिवारजन सहित शांतिपूर्वक काबिज हो निरन्तर निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग करने लग गया और आज भी मै वादी ही अपनी क्रयसुदा हिस्सा भूमि पर निरन्तर निर्बाध रूप से शांतिपूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा हूं। उक्त कृषि भूमि विक्रय करने के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 से 7 या इनके पूर्वजो का कोई हक व हिस्सा नहीं रहा है और न ही वर्तमान में हैं।

3. यह कि मै वादी ग्रामीण परिवेश का रहने वाला व्यक्ति हूं जिस कारण उपरोक्त कृषि भूमि खरीदने के पश्चात् उक्त कृषि भूमि को राजस्व रेकार्ड में अपने नाम पर अंकन कराने की जानकारी मुझ वादी को नहीं होने की वजह से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये मैं वादी अपनी उपरोक्त क्रयसुदा कृषि भूमि को अपने नाम पर अंकित नहीं करवा सका जिससे उक्त भूमि विक्रेतागण हरिसिंह एवं पृथ्वीसिंह के नाम पर ही राजस्व रेकार्ड में अंकित रह गई और इस दरमियान विक्रेता हरिसिंह का स्वर्गवास हो गया। विक्रेता हरिसिंह का स्वर्गवास हो जाने से हरिसिंह के नाम अंकित हिस्सा भूमि विरासत से उसके वारिसान पुत्र—पुत्री एवं पत्नी प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम पर अंकित हो गया जिससे वर्तमान में विक्रेता हरिसिंह के हिस्से की जमीन प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम पर अंकित चली आ रही हैं। जबकि इस भूमि को विक्रय करने के पश्चात् इनका इस भूमि पर कोई हक अधिकार नहीं रहा हैं। इसलिए मैं वादी पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा खरीदी गई हरिसिंह एवं पृथ्वीसिंह के हिस्से की कृषि भूमि जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम [illegible] है, को अपनी खातेदारी हक की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:42:08 IST
Reason: SelfAttested

घोषित करा राजस्व रेकार्ड में मेरे नाम पर अंकित कराने का अधिकारी हूं। इसलिए मुझ वादी की ओर से यह वाद पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत हैं।

4. यह कि मुझ वादी का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है क्योंकि मुझ वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पिता/पति विक्रेता खातेदार हरिसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 7 को पूर्ण प्रतिफल देकर उनके नाम दर्ज कुलिया हक हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा क्रय किया और कब्जा प्राप्त किया था तथा खरीद की दिनांक से निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा हूं और मुझ वादी ने उक्त भूमि क्रय करने के बाद फर्दन–फर्दन काफी लागत भी लगाई है जिसका ज्ञान प्रतिवादी संख्या 1 से 7 तथा हर आम एवं खास को है। केवल मात्र ग्रामीण परिवेश में रहने के कारण रेवेन्यु रेकार्ड में अपना नाम अंकन कराने की जानकारी नहीं होने से उक्त क्रयसुदा भूमि मेरे नाम पर दर्ज नहीं हो सकी और विक्रेतागण का नाम ही रेकार्ड में अंकित रहा तथा विक्रेता हरिसिंह का निधन होने से उसके हिस्से की जमीन प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम पर विरासत से दर्ज हो गई। जबकि मौके पर वक्त खरीद से मुझ वादी का कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है और जमीन बेचने के बाद विक्रेतागण का कोई हक अधिकार इस भूमि पर नहीं रहा, न ही वर्तमान में हैं। जमीन रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये खरीदी है लेकिन उक्त भूमि मेरे नाम पर अंकित नहीं होने से मुझ को भारी कठिनाईयों एवं असुविधा का सामना करना पड रहा है और भूमि सुधार के लिए ऋण इत्यादि भी नहीं ले पा रहा हूं, न ही अन्य कोई सरकारी लाभ प्राप्त कर पा रहा हूं। इसलिए उक्त भूमि मुझ वादी के नाम पर खातेदारी से घोषित करवा अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी हूं। सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू भी मुझ वादी के पक्ष में ही हैं।

5. यह कि मुझ वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद कारण दिनांक 08.08.2024 को उत्पन्न हुआ जब मैं वादी अपनी क्रयसुदा खातेदारी की कृषि भूमि की जमाबन्दी की नकल पटवारी हल्का के पास लेने गया तो पटवारी ने उक्त जमीन विक्रय पत्र से मेरे नाम पर अंकित नहीं होने की बात बतायी और रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर कोर्ट में दावा कर जमीन नाम पर करवाने की बात कही, तब उत्पन्न हुआ और [illegible]होकर निरन्तर जारी हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:42:08 IST
Reason: SelfAttested

6. अन्त में निवेदन किया कि मुझ वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री जारी फरमाई जावे कि वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम दर्ज कुलिया हक हिस्सा का पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर मुझ वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे और इसी अनुसार मेरा नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित किये जाने एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम हटाये जाने की डिक्री प्रदान कराई जावें।

7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि के सहखातेदार अर्थात् हम प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पिता हरिसिंह पिता विजयसिंह चारण एवं प्रतिवादी संख्या 7 ने अपने सम्पूर्ण हिस्से कब्जे की भूमि को 2,51,000/– दो लाख इकावन हजार रूपया के विक्रय प्रतिफल में जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा दिनांक 19.10.2015 को वादी को विक्रय कर विक्रीत हक हिस्से का मौके पर वादी को भौतिक कब्जा सिपूर्द कर दिया। तभी से वादी अपनी क्रय सुदा कृषि भूमि पर अपने परिवारजन सहित शांतिपूर्वक काबिज हो निरन्तर निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग करने लग गया और आज भी वादी ही अपनी क्रयसुदा हिस्सा भूमि पर निरन्तर निर्बाध रूप से शांतिपूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा हैं। उक्त कृषि भूमि विक्रय करने के पश्चात् हम प्रतिवादी संख्या 1 से 7 या हमारे पूर्वजों का कोई हक व हिस्सा नहीं रहा है और न ही वर्तमान में हैं।

8. यह कि वादी द्वारा खातेदार हरिसिंह एवं पृथ्वीसिंह के हक हिस्से को पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिये क्रय किया गया है और कब्जा भी वक्त खरीद से क्रेता वादी का ही चला आ रहा हैं। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पिता/पति हरिसिंह जी की मृत्युपरान्त उनके नाम अंकित भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम पर विरासत से अंकित कर दी गई है जबकि हमारा इस जमीन से कोई सरोकार नहीं रहा हैं। इसलिए पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा खरीदी गई हरिसिंह एवं पृथ्वीसिंह के हिस्से की कृषि भूमि जो वर्तमान में हम प्रतिवादी सं. 1 से 7 के नाम अंकित है, को वादी अपनी खातेदारी हक की घोषित करा राजस्व रेकार्ड उसके नाम पर अंकित कराने का अधिकारी है जिसमें हम प्रतिवादी का कोई उजर एतराज नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:42:08 IST
Reason: SelfAttested

9. यह कि वादी द्वारा विक्रय पत्र में वर्णित कृषि भूमि को पूर्ण प्रतिफल अदा कर क्रय की गई है और काबिज चला आ रहा हूं और वादी ने फर्दन–फर्दन इस पर लागत भी लगाई है किन्तु वादी का नाम रेकार्ड में अंकित नहीं होने से वादी को काफी असुविधा एवं क्षति हो रही है। इसलिए वादी पंजीकृत विक्रय पत्र में वर्णित क्रयसुदा हिस्सा भूमि को अपने नाम पर अंकित करवाने का कानूनन अधिकारी है जिसमें हमें कोई आपत्ति या एतराज नहीं हैं।

10. यह कि वाद पत्र में वर्णित वादी की इस्तदुआ सही होने से स्वीकार होकर कथन है कि हम प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम पर दर्ज कुलिया हिस्सा का पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी का नाम अंकन कराये जाने एवं हमारे नाम हटाये जाने में हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार कर वाद पत्र में वर्णितानुसार डिक्री फरमाया जावें।

11. प्रकरण में प्रतिवादीगण का स्वीकारात्मक जवाब होने से तनकी कायम नहीं कर प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई। अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री रतनसिंह पिता विजयसिंह का पेश किया।

12. वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेज मौजा धारता पटवार हल्का खेमपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 71 प्रदर्श 1, खाता संख्या 73 प्रदर्श 2, खाता संख्या 70 प्रदर्श 3, विक्रय पत्र दिनांक 19.10.2015 प्रदर्श 4ए प्रदर्शित करवाये गये।

13. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की।

14. हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ग्राम धारता पटवार हल्का खेमपुर तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 71 पर दर्ज आराजी नम्बर 356 रकबा 5.3985 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी सं. 1 से 6 प्रत्येक के नाम 1/216–1/216 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 7 के नाम 1/36 हिस्से से दर्ज है तथा शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज है। इसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Purohit
Date: 2024.12.18 16:42:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रकार खाता संख्या 73 पर दर्ज आराजी नम्बर 355 रकबा 1.6106 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी सं. 1 से 6 प्रत्येक के नाम 1/216–1/216 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 7 के नाम 1/36 हिस्से से दर्ज है तथा शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज हैं। इसी प्रकार खाता संख्या 70 पर दर्ज आराजी नम्बर 352 रकबा 1.4811 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 6 प्रत्येक के नाम 1/72–1/72 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 7 के नाम 1/12 हिस्से से दर्ज हैं शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज हैं। प्रतिवादी सं. 1 से 6 के मौरूस हरिसिंह पिता विजयसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 7 श्री पृथ्वीसिंह पिता विजयसिंह द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.10.2015 प्रदर्श 4ए से वादी को वादग्रस्त भूमि में से अपना सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय कर दिया। जिसका नामान्तरकरण राजस्व कर्मचारियों द्वारा नहीं खोला गया, जिससे वादग्रस्त भूमि विरासत से प्रतिवादी सं. 1 से 6 के नाम दर्ज हो गई तथा प्रतिवादी संख्या 7 के नाम दर्ज हिस्सा स्वयं प्रतिवादी संख्या 7 के नाम ही दर्ज चला आ रहा हैं जबकि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी सं. 1 से 7 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। विक्रेता श्री हरिसिंह पिता विजयसिंह फौत हो जाने से उनके वारिस प्रतिवादी सं. 1 से 6 एवं प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा भी स्वीकारात्मक जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में दर्ज हिस्सा भूमि उनके व उनके मौरूस द्वारा वादी को विक्रय की गई है जिस पर वादी का कब्जा काश्त होकर वादी के उपयोग उपभोग में है। अतः रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि ग्राम धारता पटवार हल्का खेमपुर तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 71 पर दर्ज आराजी नम्बर 356 रकबा 5.3985 हेक्टेयर भूमि में संयुक्त रूप से प्रतिवादी सं. 1 से 7 महिपालसिंह पिता हरिसिंह, संध्या पिता हरिसिंह, सुनिता पिता हरिसिंह, सुमन पिता हरिसिंह, सीमा पिता हरिसिंह, गुलाब कुंवर पत्नी हरिसिंह, पृथ्वीसिंह पिता विजयसिंह के नाम 1/18 हिस्सा दर्ज है, के बजाय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:42:08 IST
Reason: SelfAttested

वादी रतनसिंह पिता विजयसिंह को 1/18 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 73 पर दर्ज आराजी नम्बर 355 रकबा 1.6106 हेक्टेयर भूमि में संयुक्त रूप से प्रतिवादी सं. 1 से 7 महिपालसिंह पिता हरिसिंह, संध्या पिता हरिसिंह, सुनिता पिता हरिसिंह, सुमन पिता हरिसिंह, सीमा पिता हरिसिंह, गुलाब कुंवर पत्नी हरिसिंह, पृथ्वीसिंह पिता विजयसिंह के नाम 1/18 हिस्सा दर्ज है, के बजाय वादी रतनसिंह पिता विजयसिंह को 1/18 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 70 पर दर्ज आराजी नम्बर 352 रकबा 1.4811 हेक्टेयर भूमि संयुक्त रूप से प्रतिवादी सं. 1 से 7 महिपालसिंह पिता हरिसिंह, संध्या पिता हरिसिंह, सुनिता पिता हरिसिंह, सुमन पिता हरिसिंह, सीमा पिता हरिसिंह, गुलाब कुंवर पत्नी हरिसिंह, पृथ्वीसिंह पिता विजयसिंह के नाम 1/6 हिस्सा दर्ज है, के बजाय वादी रतनसिंह पिता विजयसिंह को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:42:08 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री रतनसिंह पिता विजयसिंह चारण निवासी धारता तह. मावली।

............वादी

बनाम्

1. श्री महिपालसिहं पिता हरिसिंह चारण निवासी धारता तह. मावली।
2. संध्या पुत्री हरिसिंह चारण निवासी धारता तह. मावली।
3. सुनिता पुत्री हरिसिंह चारण निवासी धारता तह. मावली।
4. सुमन पुत्री हरिसिंह चारण निवासी धारता तह. मावली।
5. सीमा पुत्री हरिसिंह चारण निवासी धारता तह. मावली।
6. श्रीमती गुलाबकुंवर पत्नी हरिसिंह चारण निवासी धारता तह. मावली।

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 37/24 (वाद)

GCMS No. : 2024/71

यह मुकद्दमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि ग्राम धारता पटवार हल्का खेमपुर तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 71 पर दर्ज आराजी नम्बर 356 रकबा 5.3985 हेक्टेयर भूमि में संयुक्त रूप से प्रतिवादी सं. 1 से 7 महिपालसिंह पिता हरिसिंह, संध्या पिता हरिसिंह, सुनिता पिता हरिसिंह, सुमन पिता हरिसिंह, सीमा पिता हरिसिंह, गुलाब कुंवर पत्नी हरिसिंह, पृथ्वीसिंह पिता विजयसिंह के नाम 1/18 हिस्सा दर्ज है, के बजाय वादी रतनसिंह पिता विजयसिंह को 1/18 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या पर दर्ज आराजी नम्बर 355 रकबा 1.6106 हेक्टेयर भूमि में संयुक्त रूप से प्रतिवादी सं. 1 से 7 महिपालसिंह पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:42:08 IST
Reason: SelfAttested

हरिसिंह, संध्या पिता हरिसिंह, सुनिता पिता हरिसिंह, सुमन पिता हरिसिंह, सीमा पिता हरिसिंह, गुलाब कुंवर पत्नी हरिसिंह, पृथ्वीसिंह पिता विजयसिंह के नाम 1/18 हिस्सा दर्ज है, के बजाय वादी रतनसिंह पिता विजयसिंह को 1/18 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 70 पर दर्ज आराजी नम्बर 352 रकबा 1.4811 हेक्टेयर भूमि संयुक्त रूप से प्रतिवादी सं. 1 से 7 महिपालसिंह पिता हरिसिंह, संध्या पिता हरिसिंह, सुनिता पिता हरिसिंह, सुमन पिता हरिसिंह, सीमा पिता हरिसिंह, गुलाब कुंवर पत्नी हरिसिंह, पृथ्वीसिंह पिता विजयसिंह के नाम 1/6 हिस्सा दर्ज है, के बजाय वादी रतनसिंह पिता विजयसिंह को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 13.11.2024 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:42:08 IST
Reason: SelfAttested